फर्द अहकाम

लय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर

मोडूराम बनाम हनुमान

संख्या /वर्ष 12/22 : 2022/125 /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित बहस (प्रा०पत्र 111, 128) हेतु मौका चाहते हैं वास्ते बहस हेतु पत्रावली दि० 28/3/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	
28/3/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता सुनी गई [illegible] पक्षों की ओर से [illegible] विस्तृत निर्णय पृथक से किया जाता है [illegible] पत्रावली लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली [illegible] किया गया पत्रावली [illegible] बाद तामील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:14:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 12 / 2022
निर्णय दिनांक : 28/3/2024

1. लादूराम पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हनुमानसहाय
2. शिव शंकर उर्फ शंकरलाल
3. पतासी देवी पत्नि मोहरीलाल

जाति मीणा निवासीगण ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की अभिलिखित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अन्य भूमियों के अलावा भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 360 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 361 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 362 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 364 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 367 रकबा 0.2000 हैक्टेयर व खसरा नंबर 374 रकबा 0.3600 हैक्टेयर ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी की अभिलिखित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 360 की पूर्वी दिशा की सीमा जोड अप्रार्थीगण की अभिलिखित खातेदारी की भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 359 व 359 / 598 स्थित है। प्रार्थी की अभिलिखित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 367, 364, 374 की पश्चिमी दिशा की सीमा जोड अप्रार्थीगण की अभिलिखित खातेदारी की भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 367 / 601, 364 / 600, 363 / 599 व 363 स्थित है। प्रार्थी की अभिलिखित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 361 व 362 की उत्तरी दिशा की सीमा जोड अप्रार्थीगण की अभिलिखित खातेदारी की भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 359 व 363 स्थित है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 360 की पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 367, 364 व 374 की पश्चिमी दिशा एवं खसरा नंबर 361 व 362 की उत्तरी दिशा की सीमाओं को खाम मिट्टी की डोल से महदूद व महफूज कर रखा है। दिनांक 25.07.2018 को [illegible] ने प्रार्थी की गैरमौजूदगी में प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर [illegible] की पूर्वी दिशा की सीमाजोड पर अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 359 व 359 / 598 पर लगी हुई खाम मिट्टी की डोल एवं प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 367, 364 व 374 की पश्चिमी दिशा की सीमाजोड़ पर अप्रार्थीग[illegible] की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 367 / 601, 364 / 600, 363 / 599 व 363 पर लगी हुई खाम मिट्टी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

की डोल तथा प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 361 व 362 की उत्तरी दिशा की सीमाजोड़ पर अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 359, 363 पर लगी हुई खाम मिट्टी डोल को अपनी खातेदारी की भूमियों की सीमा के अन्दर मानते हुए अवैध रूप से तोड़ दी। दिनांक 05.08.2018 को प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त भमि को उक्त वर्णित दिनांक को सम्भालनें गया तो प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि की पूर्वी, पश्चिमी व उत्तरी दिशा की सीमा पर लगी हुई मिट्टी की डोल टूटी हुई देखी तो पुछताछ करने पर पता चला कि अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 25.07.2018 को उक्त जवरन मिटटी की डोल को तोड़ दी गई। प्रार्थी शान्तिप्रिय व कानून में विश्वास रखने वाला न्यायप्रिय व्यक्ति है जो अप्रार्थीगण की किसी भी अवैधानिक कार्यवाहीयों का मुकावला करने में असमर्थ है प्रार्थी अधिकारी है कि वह अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 360 की पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 367, 364, 374 की पश्चिमी दिशा व खसरा नंबर 361, 362 की उत्तरी दिशा की सीमाओं पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करावें जिसमें प्रार्थी की वादग्रस्त भूमियों की सीमा महदूद व महफूज हो सकें। प्रार्थी को वाद कारण अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 25.07.2018 को की गई अवैध व मनमानी कार्यवाही से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादग्रस्त भूमि ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित होने से मान्य न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार का अनुतोष प्रदान करें :—

(अ) ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 360 की पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 367, 364, 374 की पश्चिमी दिशा व खसरा नंबर 361, 362 की उत्तरी दिशा की ओर की सीमा पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करावें।

(ब) मान्य न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रार्थी की वादग्रस्त भूमियों के पूर्वी, पश्चिमी व उत्तरी दिशाओं की सीमाओं पर अप्रार्थीगण का अतिक्रमण पाया जावें तो वह भी हटवाया जावें।

(स) अन्य अनुतोष जो माफीक प्रार्थी हो वह भी दिलवाया जावें।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता ने अण्डरटेकिंग दी। प्रार्थी ने तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका—फर्द रिपोर्ट दिनांक 12.07.2010 पेश की जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

पत्रावली में उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 360 की पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 367, 364, 374 की पश्चिमी दिशा व खसरा नंबर 361, 362 की उत्तरी दिशा की ओर की सीमा पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करावें। प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि के पूर्वी, पश्चिमी व उत्तरी दिशाओं की सीमाओं पर अप्रार्थीगण का अतिक्रमण पाया जावें तो वह भी हटवाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बहस प्रार्थी अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खसरा नंबर 360 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 361 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 362 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 364 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 367 रकबा 0.2000 हैक्टेयर व खसरा नंबर 374 रकबा 0.3600 हैक्टेयर नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका-फर्द रिपोर्ट दिनांक 12.07.2010 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 28/3/2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सॉंगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:14:42 IST
Reason: SelfAttested